

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 49/2014/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या - 540/2011/भीलवाड़ा)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, डूंगरपुर.

.....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स श्री कल्याण ट्रेडिंग कम्पनी, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

.....अप्रार्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 27/11/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स श्री कल्याण ट्रेडिंग कम्पनी, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 540/2011/भीलवाड़ा में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 30.12.2013 में परिशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, रतनपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 6.2.2009 को चैकिंग के दौरान वाहन संख्या जी.जे.9 वाय/7446 को चैक किये जाने पर परिवहनित माल के साथ संलग्न घोषणा-पत्र वैट-47 अपूर्ण पाया गया। इस बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए वैट अधिनियम की धारा 68(3) के तहत प्रकरण का प्रशमन करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 8.2.2009 प्रस्तुत किया तथा प्रशमन राशि भी उसी दिन राजकोष में जमा करवा दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 20.07.2010 द्वारा स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा कर बोर्ड के समक्ष विवादित अपील संख्या 540/2011/भीलवाड़ा प्रस्तुत की गई। माननीय एकलपीठ के आदेश दिनांक 30.12.2013 से राजस्व की अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी कि वैट अधिनियम की धारा 68(3) के तहत प्रकरण को प्रशमन करवाने के पश्चात अपील ग्रहणीय नहीं रहती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रशमन के पश्चात

लगातार.....2




अपील को ग्रहण करते हुए स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय एकलपीठ के उक्त आदेश दिनांक 30.12.2013 को संशोधित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने हेतु यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. बहस के दौरान प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्ररूप वेट-47 एवं वेट-49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है, जबकि हस्तगत प्रकरण दिनांक 06.02.2009 का है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रार्थी व्यवहारी के परिवहनित विवादित माल के साथ घोषणा प्ररूप वेट-47 अपूर्ण होने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने तथा वाहन चालक के प्रशमन प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रशमन राशि का निर्धारण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है, जबकि राजस्थान कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त त्रुटि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधनीय बताते हुए माननीय एकलपीठ का आदेश संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय एकलपीठ के निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 68 के तहत किसी भी प्रकरण का प्रशमन होने के उपरान्त, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहणीय नहीं रहती है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रशमन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को ग्रहण करते हुए स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।




6. प्रार्थी के परिशोधन प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व वेट अधिनियम की धारा 68 उपधारा (3) व (7) एवं धारा 33 तथा धारा 33 के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Section 68. Composition of offences. -

- (1)
- (2)
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,-
 - (a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;
 - (b) in case of offence committed by him under subsection (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;
 - (c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

Section 33. Rectification of a mistake. - (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.



लगातार.....4


Explanation. - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.


7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) के सन्दर्भ में पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."



8. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया है।
9. प्रकरण के तथ्यों तथा उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट है कि वेट अधिनियम की धारा 68(3) के तहत प्रशमित प्रकरण के विरुद्ध किसी भी स्तर पर अपील चलने योग्य नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 68(3) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील को ग्रहण करते हुए स्वीकार किये जाने में प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि की गयी थी, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील माननीय एकलपीठ द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट किया गया है कि वेट अधिनियम की धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। अतः उक्त विधिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन धारा 33 की परिधि में नहीं आने के कारण संशोधनीय नहीं है।
10. परिणामस्वरूप प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।
11. निर्णय सुनाया गया।


27.11.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य